Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali,
Dehradun - 248006
Phone : 0135-273901 FAX: 0135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
उर्जा भवन, कांवली,
देहरादून – 248 006
दूरभाष 0135–2763901, फैक्स 0135–2769771

पत्रांक 8239 निदेशक (मा०सं०)/के०एफ०–33 दिनांक : 20/6/11

महाप्रबन्धक (वितरण),
गढ़वाल/कुमाऊं क्षेत्र,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून/हल्द्वानी।

विषय : उपनल के माध्यम से उपाकालि में कार्योजित कार्मिकों के ससमय उपस्थिति विवरण उपलब्ध कराने एवं मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक उपनल के माध्यम से उपाकालि में कार्योजित कार्मिकों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा शासन स्तर पर हुई वार्ता में अन्य मांगों के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि कतिपय मामलों में कार्मिकों को मानदेय भुगतान प्राप्त होने में विलम्ब हो रहा है। इस प्रकरण पर वार्ता में उपनल के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों को ससमय मानदेय उपलब्ध कराने हेतु सहमति व्यक्त की गई है।

कारपोरेशन के पत्रांक 2654–निदेशक (मा0सं0)/के0एफ0–33 दिनांक 17.6.2006 एवं पत्रांक 4813–निदेशक (मा0सं0)/के0एफ0–33 दिनांक 8.8.2006 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा उपनल के माध्यम से उपाकालि में कार्योजित कार्मिकों के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में पूर्व में ही दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जा रही है जिस कारण मानदेय के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः आप सभी को निदेशित किया जाता है कि प्रकरण में व्यक्तिगत् रूचि लेते हुए उक्त इंगित पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रश्नगत् भुगतान में भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही/विलम्ब के लिए सम्बन्धित अधिकारी/अधिकारिक की व्यक्तिगत् जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

<u>कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझे।</u>

<u>संलग्नक : यथोपरि</u>

(अनिल कुमार जैन)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 8239 निदेशक (मा0सं0)/तद् दिनांक :

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0, स्टेशन सब–एरिया कॉम्प्लैक्स, गढ़ी कैन्ट, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कार्मिकों का उपस्थिति विवरण उपलब्ध होने पर बीजक इत्यादि तैयार करने की कार्यवाही यथा–समय सुनिश्चित करें।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि...।
5. अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।

(शरद कृष्ण)

Uttaranchal Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttaranchal Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali,
De...adun - 248006
Phone : 0135-2768820FAX: 0135-2769771

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तरांचल सरकार का उपक्रम)
उर्जा भवन, कांवली
देहरादून - 248006
दूरभाष 0135-278820, फैक्स 0135.2769771

पत्रांक 4813 निदेशक (मा0सं0)/के0एफ0-33 दिनांक : 8-8-06

समस्त अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 ।

विषय : उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 के माध्यम से कारपोरेशन में कार्योजित आई0टी0आई0 प्रशिक्षित अप्रेन्टिसों के भुगतान के सम्बन्ध में ।

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 2654-निदेशक (मा0सं0)/के0एफ0-33 दिनांक 17.6.06 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 के माध्यम से कारपोरेशन में कार्यरत आई0टी0आई0 प्रशिक्षित अप्रेन्टिसों के भुगतान के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे ।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करें ।

1. पूर्व की भांति खण्ड के अधिशासी अभियन्ता प्रत्येक माह की दिनांक 4 तक उपसुल के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों की पिछले माह की अपने-अपने खण्ड की समेकित (Consolidated) उपस्थिति फैक्स के द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 (उपसुल) को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायेगें ।
2. खण्ड से प्रश्नगत् कार्मिकों का उपस्थिति विवरण प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 दिनांक 6 तक प्रश्नगत् कार्मिकों का खण्डवार बीजक एवं उपस्थिति विवरण की प्रतिलिपि सीधे उपमहाप्रबन्धक (वित्त), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून को उपलब्ध करायेंगे ।
3. उपरोक्त बीजक प्राप्त होने पर उपमहाप्रबन्धक (वित्त) तत्काल इन कार्मिकों से सम्बन्धित बीजक का भुगतान सीधे उपसुल को करायेंगे तथा किये गये भुगतान को खण्डवार Debit भी करायेंगे तथा इसके साथ-साथ वे उपसुल से प्राप्त बीजक की प्रतिलिपि भी सम्बन्धित खण्ड को उपलब्ध करायेंगे ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इसके अतिरिक्त पूर्व आदेश संख्या 2654 दिनांक 17.6.06 में निहित अन्य दिशा-निर्देश यथावत् लागू रहेंगे ।

8/8/06
(एस0पी0एस0 राघव)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक निदेशक (मा0सं0)/के0एफ0-33 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पूर्व सैनिक कलयाण उद्यम लि0, स्टेशन सब एरिया कॉम्प्लैक्स, गढ़ी कैन्ट, देहरादून ।
2. वैयक्तिक सहायक, माननीया ऊर्जा राज्य मन्त्री, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वैयक्तिक सहायक, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
4. वैयक्तिक सहायक, निदेशक (वित्त), उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
5. महाप्रबन्धक (वितरण), गढ़वाल/कुमाऊं क्षेत्र, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून/हल्द्वानी ।
6. उपमहाप्रबन्धक(वित्त),उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन, देहरादून ।
7. समस्त उपमहाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 ।

(एस0पी0एस0 राघव)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

Uttaranchal Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttaranchal Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali,
Dehradun - 248006
Phone : 0135-2768820FAX: 0135-2769771

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तरांचल सरकार का उपक्रम)
उर्जा भवन, कांवली
देहरादून - 248006
दूरभाष 0135-278820, फैक्स 0135.2769771

पत्रांक 2654 निदेशक (मा0सं0)/के0एफ0-33 दिनांक : 17.6.2006

समस्त अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 ।

विषय : उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 के माध्यम से कारपोरेशन में कार्योजित आई0टी0आई0 प्रशिक्षित अप्रैन्टिसों के भुगतान के सम्बन्ध में ।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, देहरादून द्वारा संज्ञान में लाया गया है कारपोरेशन में उनके द्वारा कार्योजित आई0टी0आई0 प्रशिक्षित अप्रैन्टिसों को समय से भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है । यह स्थिति निश्चित रूप से सन्तोषजनक नहीं है । प्रश्नगत् कार्मिकों को समय से भुगतान प्राप्त हो सके उसके लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है ।

1. उपमहाप्रबन्धक (वित्त) मुख्यालय जब नियमित कर्मचारियों के वेतन की धनराशि खण्ड को उपलब्ध कराते हैं तो उसी समय वे उस खण्ड में उपसुल के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों के पारिश्रमिक की धनराशि भी प्रति व्यक्ति रू0 4497/-(अथवा समय-समय पर संशोधित) की दर से खण्ड को उपलब्ध करायेगें । खण्ड के अधिशासी अभियन्ता उनके खण्ड में उपसुल के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों की संख्या से एक बार उपमहाप्रबन्धक (वित्त) मुख्यालय को अवगत करायेगें ।
2. खण्ड के अधिशासी अभियन्ता प्रत्येक माह की दिनांक 4 तक उपसुल के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों की पिछले माह की उपस्थिति फैक्स के द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 (उपसुल) को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायेगें ।
3. खण्ड से प्रश्नगत् कार्मिकों का उपस्थिति विवरण प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 दिनांक 6 तक फैक्स के द्वारा कार्मिकों का बीजक सम्बन्धित खण्ड को प्रेषित करायेगें ।
4. सम्बन्धित खण्ड दिनांक 7 तक कार्मिकों को भुगतान हेतु चैक उपसुल को भेजेगें तथा फैक्स द्वारा वे उन्हें इसकी जानकारी भी देगें । यदि उपमहाप्रबन्धक (वित्त) मुख्यालय से इस मद में प्राप्त धनराशि कार्मिकों को भुगतान हेतु भेजी गई धनराशि से अधिक या कम होती है तो सम्बन्धित खण्ड इसका समायोजन अगले माह हेतु प्राप्त धनराशि से करेगें तथा इसकी सूचना उपमहाप्रबन्धक (वित्त) मुख्यालय को भी देगें ।
5. दिनांक 9 तक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 सम्बन्धित कार्मिकों को उनके पारिश्रमिक की धनराशि उनके बैंक खाते में जमा करायेगें अन्यथा की स्थिति में उपसुल की जिम्मेदारी होगी जिसके लिए उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि उपसुल के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों को उनके पिछले माह के पारिश्रमिक का भुगतान अगले माह की दिनांक 9 तक प्रत्येक दशा में हो जाये । यदि इस तिथि तक उन्हें भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो यह खण्ड के अधिशासी अभियन्ता की व्यक्तिगत् जिम्मेदारी होगी तथा इसके लिए वे अपने अगले माह का वेतन आहरित नहीं करेंगे ।

प्रत्येक खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, निदेशक (मानव संसाधन) को फैक्स द्वारा सूचना देंगे कि उनके खण्ड से दिनांक 4 को कार्मिकों के Absentee Statement उपसुल को भेज दिये गये थे तथा दिनांक 9 तक इन कार्मिकों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान प्राप्त हो गया है ।

पुनः रेखांकित किया जाता है कि खण्ड इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूचि लें । इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी ।

राघव 17/6/06
(एस0पी0एस0 राघव)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक